

राशन कार्ड में पता व डिपोधारक का परिवर्तन करने हेतु जरूरी दस्तावेज

समय सीमा 3 दिन

- 1 फार्म को सत्यापित करवाना।
 - a) यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी है तो वह आवेदत पत्र कार्यालय के अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाएं।
 - b) यदि आवेदक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो वह शहर के किसी राजपत्रित अधिकारी या सरकार द्वारा मनोनीत अन्य व्यक्ति तथा नगर पार्षद,,पंच, सरपंच,लंबरदार आदि से आवेदन पत्र सत्यापित करवाएं।
- 2 डिपोधारक अपने इन्द्राज रजिस्टर से नाम काट कर हस्ताक्षर व मोहर सहित रिपोर्ट करेगा
- 3 फार्म का मूल्य एक रूपया।
- 4 मूल राशन कार्ड

सभी आवेदन पत्र निरीक्षक (खाद्य एवं पूर्ति विभाग) के द्वारा ई-दिशा सेंटर से एकत्रित किए जायेंगे और फीस विभाग के खाते में जमा कर दी जाएगी